मुद्रक - आरती प्रिंटिंग प्रेस सिकराय

फर्द अहकाम

(नियम (२८))

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

सरकार बनाम रामभरोसी वगैरह

किस्म मुकदमा 175 RTA मु० नं० 1/20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थीगण उत्त 15 द्वारा दि. 18.11.20 को जवाबदावा पेश किया गया। जवाबदावा अनुसार ख.नं. 1334/1 में से 530.97 m² का रूपान्तरण दि. 18.12.12 तहसीलदार सिकराय द्वारा किया गया है तथा रूपान्तरण पश्चात 530.97 m² का बेचान अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम पंजीबद्ध भी तहसीलदार द्वारा दि. 19.12.12 को किया गया है। जवाबदावा की मद सं. 4 अनुसार ख.नं. 1333 को छोड़कर ख.नं. 1334 व 1335 की भूमि का रूपान्तरण पश्चात विवादित द्वारा पंजीकृत बेचानामें द्वारा प्रतिवादीगण उत्त 15 2069-2072 सं. की पेश जमाबंदियों अनुसार खातेदार दर्ज हैं। ख.नं. 1334 व 1335 की भूमि का तहसीलदार द्वारा भूमि रूपान्तरण कर प्रतिवादीगण के नाम बेचानामा पंजीबद्ध किये गये हैं। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से साबित है कि ख.नं. 1333 बाबत प्रार्थी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं कर पाया है जिससे यह साबित हो कि ST की भूमि का SC के व्यक्तियों को हस्तान्तरण किया है। ख.नं. 1334 व 1335 की प्रश्नगत भूमियों का तहसीलदार द्वारा रूपान्तरण कर बेचानामें पंजीबद्ध किये हैं। अतः तहसीलदार सिकराय के वाद 175 RTA में उल्लेखित तथ्यों व उनके द्वारा ख.नं. 1334 व 1335 की भूमियों का स्वयं रूपान्तरण कर बेचानामें सम्पादित करना, नितान्त विरोधाभासी स्थिति है। वादी तहसीलदार द्वारा तत्का. ADM के निर्णय अनुसार 183B में भी कोई [illegible] गयी है। अतः वाद वादी 175 RTA [illegible] तथ्यों पर आधारित होने [illegible] अनुसार पोषणीय नहीं [illegible] पर खारिज किया जाता है।	

(राजवीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Singh Godara
Date: 2021.01.06 13:49:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner